669

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 11, सोमवार, शाके 1939–जनवरी 01, 2018
Pausa 11, Monday, Saka 1939–January 01, 2018

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 20, 2017

संख्या प.4(16)उद्योग/1/2012 **पार्ट** :–इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03–04–2012 के द्वारा कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0 (रीको लि0) को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा– 4 के अन्तर्गत तहसील मुण्डावर जिला अलवर के ग्राम बीरोद की 6.72 है0, ग्राम बावद की 205.15 है0, ग्राम पलावा की 37.18 है0, ग्राम लामचपुर की 210.34 है0, ग्राम मानका की 153.71 है0, ग्राम मिर्जापुर की 124.59 है0 एवं तहसील बहरोड के ग्राम गुगलकोटा की 281.03 है0, ग्राम चौबारा की 184.04 है0, ग्राम जोनायचा खुर्द की 155.83 है0, ग्राम शाहजहांपुर की 148.21 है0 कुल 1506.08 है0 निजी खातेदारी भूमि पर डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार अधिसूचित की गई।

भूमि अवाप्ति अधिकारी, डी.एम.आई.सी. (रीको लि0) जयपुर द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा– 5ए के अन्तर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा– 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अलवर जिले की तहसील मुण्डावर के ग्राम बीरोद की 6.72 है0, ग्राम बावद की 186.36 है0, ग्राम पलावा की 37.18 है0, ग्राम लामचपुर की 210.34 है0, ग्राम मानका की 153.71 है0, ग्राम मिर्जापुर की 124.35 है0 तथा तहसील बहरोड (नवसृजित तहसील नीमराना) के ग्राम गुगलकोटा की 256.49 है0, ग्राम चौबारा की 177.39 है0, ग्राम जोनायचा खुर्द की 151.94 है0 एवं ग्राम शाहजहांपुर की 120.88 है0 अर्थात् कुल 1425.36 है0 भूमि डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु अवाप्त की गई।

मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक दिनांक 12–12–2017 में उद्योग विभाग (डी.एम.आई.सी.) द्वारा ज्ञापन दिनांक 05–11–2017 से डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खुशखेडा–भिवाडी–नीमराना इन्वेस्टमेन्ट रीजन के प्रथम चरण में उक्त 10 गांवों की अवाप्ताधीन 1425.36 है0 भूमि में से 5 गांवो पलावा, बीरोद, मिर्जापुर, लामचपुर तथा मानका के अन्तर्गत आने वाली 532.30 है0 भूमि एवं अप्रोच रोड हेतु अवाप्ताधीन भूमि को छोडकर शेष भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 172/2017 दिनांक 14.12.2017 से अनुमोदन किया गया।

अवाप्ति से मुक्ति योग्य भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. नीमराना तहसील के ग्राम शाहजहांपुर की 120.88 है0 एवं ग्राम जोनायचा खुर्द की 151.94 है0 सम्पूर्ण अवाप्ताधीन भूमि
2. ग्राम गूगलकोटा के खसरा नम्बरान् 2193 से 2198, 2213, 2214 व 2221 को छोडकर शेष भूमि
3. ग्राम चौबारा के खसरा नम्बरान् 587, 675 से 678, 680 से 691, 691/1444, 692 से 694, 720 से 722, 758, 759, 766, 767 व 770 को छोडकर शेष भूमि एवं
4. ग्राम बावद के खसरा नम्बरान् 556 से 559, 778/560, 570, 571, 573 से 578 व 580 को छोडकर शेष भूमि

अतः राज्य सरकार डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु अवाप्त की गई डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खुशखेडा–भिवाडी–नीमराना इन्वेस्टमेन्ट रीजन के प्रथम चरण में उक्त 10 गांवों की अवाप्ताधीन 1425.36 है0 भूमि में से 5 गांवों पलावा, बीरोद, मिर्जापुर, लामचपुर तथा मानका के अन्तर्गत आने वाली 532.30 है0 भूमि एवं अप्रोच रोड हेतु अवाप्ताधीन भूमि को छोडकर नीमराना तहसील के ग्राम शाहजहांपुर की 120.88 है0 एवं ग्राम जोनायचा खुर्द की 151.94 है0 सम्पूर्ण अवाप्ताधीन भूमि, ग्राम गूगलकोटा के खसरा नम्बरान् 2193 से 2198, 2213, 2214 व 2221 को छोडकर शेष भूमि, ग्राम चौबारा के खसरा नम्बरान् 587, 675 से 678, 680 से 691, 691/1444, 692 से 694, 720 से 722, 758, 759, 766, 767 व 770 को छोडकर शेष भूमि एवं ग्राम बावद के खसरा नम्बरान् 556 से 559, 778/560, 570, 571, 573 से 578 व 580 को छोडकर शेष भूमि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–48 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अवाप्ति से मुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।